दस रुपये TEN RUPEES दस रुपये TEN RUPEES

453

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर म0प्र0

==

R - 1715 - II/13

निगरानी क्र- सन् -2013

दयाराम तनय स्व0 श्री हरी दुबे

निवासी ग्राम पिडपा तह0 व जिला छतरपुर म0प्र0 .. आवेदक

के0के0 त्रिवेदी एड.
3-5-2013

ब नाम

1-अच्छे लाल पटेल] पुत्रगण श्री कट्टू पटेल

2- कौशल पटेल]

निवासीगण ग्राम अटारन {मौराहा} तह0 व जिला छतरपुर म0प्र0

3- ओम प्रकाश तनय श्री गोपी बानिया {अग्रवाल}

निवासी बार्ड क्र. 36 सनसिटी कॉलोनी छतरपुर म0प्र0

4- दुर्गा प्रसाद तनय गोपी बानिया {अग्रवाल}

निवासी गल्लामण्डी मानस भवन के पास जयनारायण

अग्रवाल के सामने छतरपुर तह0 व जिला छतरपुर म0प्र0

5- म0प्र0 शासन .. .. अनावेदकगण

3-5-13

यह निगरानी न्यायालय नायब तहसील प्रभारी महेबा मण्डल तह0 व जिला छतरपुर राजस्व प्र0क्र0- 29/ अ-6/2011-12 में पारित आदेश दिनांक-12/04/2013 से असंतुष्ट होकर म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 {संशोधन अधिनियम 2011} की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

3/5/13
K. K. DWIVEDI
Advocate

==================================

मान्यवर,

प्रकरण आवेदक निम्नलिखित निगरानी सादर प्रस्तुत करता है:-

दयाराम दुबे

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-1715-दो/2013 जिला छतरपुर दयाराम विरूद्ध अच्छे व शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत ।	
	2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा नायब तहसीलदार महेबा जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 29/अ-6/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 12-04-2013 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 03-5-2013 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी।	
	3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार –	
	''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।''	
31.01.19	4. नायब तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।	
	5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका	

के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 31.01.19
सदस्य